न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 257 / 2023 GCMS No.—2023/54

श्योजी पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी ग्राम नारदपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

1. गंगाराम पुत्र श्योराम
2. गजानन्द पुत्र श्योराम
3. जगदीश पुत्र गोविन्दराम
4. बाबू पुत्र श्योराम
5. हनुमान पुत्र श्योराम
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नारदपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व निर्णय / आदेश तहसीलदार जमवारामगढ के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ दिनांक 04.08.2022 के द्वारा पारित किया गया।

———————

उपस्थितः–

1. श्री मदन लाल कुडी, गोपाल लाल बाना अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री सीताराम जाट अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 23.05.2024

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 04.08.2022 जिससे ग्राम नारदपुरा, तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि खाता संख्या 51 कुल किता 6 कुल रकबा 6.65 हैक्टेयर के तकासमा आदेश किये गये, जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 25.05.2023 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल तकासमा पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम जाट उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित अभिभाषक उभय पक्ष व पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाधीन भूमि एवं रेस्पाडेन्ट्स ग्राम नारदपुरा, तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि खसरा नंबर 127, 158, 159, 187, 19, 20 कुल किता 6 कुल रकबा 6.65 हैक्टटेयर के सहखातेदार काश्तकार है। अपीलांट एवं रेस्पाडेन्ट्स द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में तहसीलदार जमवारामगढ को आपसी सहमति के आधार पर विभाजन हेतु आवेदन दिनांक 19.07.2022 को प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 04.08.2022 को को बंटवारानामा निष्पादित कर दिया। उक्त वर्णित आराजीयात का जो कि विभाजन में भूमि दी गयी वो कब्जे अनुसार नहीं दी गयी तथा गुजर रही हाईटेंशन लाईन सम्पूर्ण की जमीन अपीलांट को दे दी गयी तथा जिस भूमि पर मकानात आदि बने हुये थे जो खसरा नंबर 127 (हाल खसरा नंबर 465/127) में स्थित थी अपीलांट को दे दिये गये एवं खसरा नंबर 465/127 रेस्पाडेन्ट संख्या 5 को दे दिये गये। इसलिए अपीलांट के बने हुआ मकान का आधा हिस्सा रेस्पाडेन्ट संख्या 5 के हिस्से में उक्त विभाजन के पश्चात चला

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

गया। जबकि आपस में सभी के मध्य स्पष्ट रूप से तय हुआ था कि जिसका कब्जा, एवं मकानात है उसको किसी भी प्रकार से कब्जे से अन्य भूमि नहीं दी जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में बिना अपीलांट को समझाये एवं कब्जे काश्त व हाईटेंशन लाईन की भूमि व बने हुये पुख्ता मकानात आदि को नजरअन्दाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ का निर्णय दिनांक 04.08.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 ने कथन किया कि रेस्पाडेन्ट्स को अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन तकासमा आदेश तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा नियमानुसार न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए शुल्क जमा कर आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलाधीन तकासमा आदेश द्वारा अपीलांट के मकानात आदि कब्जे की भूमि तकासमा उपरान्त रेस्पा. संख्या 5 के हिस्से में चली गयी है। अधिवक्ता रेस्पा0 द्वारा भी अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा ग्राम नारदपुरा, तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि खसरा नंबर 127 रकबा 0.56 है0, खसरा नंबर 158 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 159 रकबा 1.55 है0, खसरा नंबर 187 रकबा 1.58 है0, खसरा नंबर 19 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 20 रकबा 2.94 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 6.65 है0 के संबंध में पारित तकासमा आदेश कमांक राजस्व/2022/3034 दिनांक 04.08.2022 निरस्त किया जाता है साथ ही प्रकरण तहसीलदार जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित **(REMAND)** किया जाता है कि वह प्रकरण में उभय पक्षकारान एवं अपीलाधीन भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में निहित समस्त काश्तकार को साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, उभय पक्षकारान के कब्जे काश्त की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश कुमार नवल)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर